<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)</u>

पीठासीन न्यायाधीश-**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप0वि0 जमानत आवेदन सख्या-254/2026</u>

<u>CiS No. 174/2026</u>

लोकेश बंजारा उर्फ अजय पुत्र जगदीश उर्फ गोकुल उर्फ जानकीलाल, उम्र-19 साल, निवासी साईनाथपुरम कच्ची बस्ती, झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड, जिला-झालावाड (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य.....**अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्राथमिकी संख्या-706/2025 पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट

<u>उपस्थितः-</u>

1-श्री धर्मराज सिंह चौहान, अधिवक्ता, विधिक सहायता से, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 06.06.2026</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 30.11.2025 को श्री कमलेश कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता मय जीप सरकारी चालक मय अनुसंधान बाक्स मय लेपटाप, प्रिंटर, युपीएस सिस्टम चार्जिंग इक्यूपमेंट के थाने से गश्त व चैकिंग अवेध कार्यों हेतु रवाना होकर गश्त मंगलपुरा, जिन्दल तिराया, मामा भांजा फोरेस्ट रोड झालावाड करते हुए ईदगाह तिराया दूर्गपुरा रोड झालावाड की तरफ जा रहे थे कि ईदगाह तिराया की तरफ से एक व्यक्ति पैदल पैदल आता हुआ नजर आया, जो पुलिस जीप को अपनी ओर आते देखकर एकदम मुडकर वापस तेज कदमो से ईदगाह की तरफ जाने लगा, जिस पर सन्देह होने पर उक्त व्यक्ति को जाप्ता की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उक्त शख्स ने अपना नाम मंजीत कुग्गी पुत्र स्व रामसिह जाति पंजाबी उम्र 48

साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोटा रोड झालावाड पुलिस थाना कोतवाली झालावाड का होना बताया जिसके पास अवैध वस्तु /पदार्थ होने की संभावना के चलते नियमानु-सार तलाशी ली गई तो अभियुक्त मंजीत कुग्गी की तलाशी ली गई तो पहने हुये पजामे की दायी जेब के अन्दर से एक सफेद रंग की जीप वाली पारदर्शी पॉलीथीन की थैली में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ स्मैक दस्तयाब हुआ। मंजीत कुग्गी से मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे मे रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। अभियुक्त मंजीत का उक्त कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से अभियुक्त के कब्जे से मिली स्मैक का तोल किया तो स्मैक का पोलीथीन की थैली सहित वजन 06 ग्राम 35 मिलीग्राम हुआ जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए दिया गया। अभियुक्त मंजीत कुग्गी से अवैध मादक पदार्थ स्मैक के सम्बन्ध में पूछताछ की तो अभियुक्त ने प्रारम्भिक पूछताछ पर उक्त मादक पदार्थ स्मैक अरबाज पुत्र मोहम्मद सफीक उर्फ होट कट्या जाति मुसलमान निवासी सांसद कार्यालय के सामने खेत कोटा रोड झालावाड व लोकेश बंजारा खरीदकर लेकर आना बताया। अभियुक्त मंजीत कुग्गी को धारा 52 एनडीपीएस मे वर्णित प्रावधानानुसार गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवाकर बाद आगाही जुर्म जरिये फर्द गिरफतारी पृथक से गिरफतार किया गया। वापसी थाना पर प्रकरण संख्या 706/2025 धारा 8/21,29 एनडीपीएस दर्ज किया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त अरबाज को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त लोकेश बंजारा उर्फ अजय के गिरफ्तार नहीं हो पाने से उसके विरूद्व अनुसंधान लम्बित रखते हुए अभियुक्त मंजीत उर्फ कुग्गी के विरूद्व धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अभियुक्त अरबाज उर्फ बच्चा के विरूद्व धारा-8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया। अभियुक्त लोकेश बंजारा उर्फ अजय को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जब्तशुदा मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, अधिक

समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त मंजीत उर्फ कुग्गी के कब्जे से 06 ग्राम 35 मिलिग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त अरबाज तथा लोकेश बंजारा के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। अभियुक्त का उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.11.2025 को कमलेश कुमार, उपनिरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड द्वारा अभियुक्त मंजीत उर्फ कुग्गी के सचेतन कब्जे से 06 ग्राम 35 मिलिग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त अरबाज तथा लोकेश बंजारा के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से निम्नाकिंत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैः-

क्र.सं.	थाना	मु.नम्बर	धारा	सी.एस. नं. मय दि.	नतीजा
01	कोतवाली, झालावाड	194/2022	341,323,325,327,308/34 भा.दं.सं.	192/20.05.2022	
02	झालरापाटन	220/2022	147,148,149,323,325,307,120 बी भा.दं.सं.	242/18.10.2022	
03	कोतवाली, झालावाड	65/2023	147,148,341,323,427 भा.दं.सं.	140/29.03.2022	
04	कोतवाली, झालावाड	368/2023	341,323,427,/34 भा.दं.सं., धारा-3 एस.सी./एस.टी एक्ट	364/11.09.2023	
05	कोतवाली, झालावाड	530/2023	147,149,341,323,307 भा.दं.सं., धारा-4/25 आर्म्स एक्ट	42/23.02.2024	
06	कोतवाली, झालावाड	207/2024	341,323,324,327,307,143 भा.दं.सं.	217/19.06.2024	
07	कोतवाली, झालावाड	209/2024	धारा-3/25 आर्म्स एक्ट	168/21.05.2024	

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व दर्ज पूर्व के प्रकरणों में से एक भी प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की गई है। मुख्य अभियुक्त मंजीत उर्फ कुग्गी के कब्जे से बरामद स्मैक अल्प मात्रा से थोडी अधिक मात्रा में है। प्रकरण में धारा-37 एन.डी.पी-.एस. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। अभियुक्त लोकेश बंजारा उर्फ अजय तथा सहअभियुक्त अरबाज के विरूद्व मुख्य अभियुक्त मंजीत उर्फ कुग्गी को मादक पदार्थ उपलब्ध करवाने का आरोप है। सहअभियुक्त अरबाज उर्फ बच्चा को दिनांक

14.01.2026 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अभियुक्त लोकेश बंजारा का प्रकरण सहअभियुक्त अरबाज उर्फ बच्चा के प्रकरण से भिन्न प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा मे है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के तथ्यों परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **लोकेश बंजारा उर्फ अजय** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्रकरण में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद स्वयं का मुचलका तादादी 1,00,000/- रूपये तथा 50,000-50,000/- राशि की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-1

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।